

पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि पर बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण परियोजना क्रियान्वयन बाबत दिशा-निर्देश

1. उद्देश्य

बायोडीजल परियोजना का उद्देश्य विभाग की पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि पर रतनजोत एवं करंज के पौधों का रोपण किया जाकर इस तरह का प्राकृतिक संसाधन का विकास कर लिया जावे कि इन प्रजातियों से प्रचुर मात्रा में बीज उपलब्ध हो सके एवं इन बीजों से बायोडीजल प्राप्त किया जा सके।

राज्य के वन क्षेत्र का लगभग आधा क्षेत्र परिभ्रांषित स्थिति में है, जिस पर वृक्षारोपण कर हरा भरा करने के साथ साथ क्षेत्र की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए बायोडीजल उत्पन्न करने वाली स्थानीय प्रजातियां जैसे रतनजोत एवं करंज आदि का रोपण किया जा सकता है।

रतनजोत (जैट्रोफा करकस) को सफेद अरण्ड, चन्द्रजोत आदि नामों से भी जाना जाता है। यह शुष्क सहनशील बहुवर्षीय पौधा है जो कमजोर मृदा वाले क्षेत्रों में भी बहुत आसानी से लग जाता है। रतनजोत के पौधे पांच से छः वर्ष में लगभग 4 से 5 मीटर तक उंचाई प्राप्त कर लेते हैं तथा इनकी आयु लगभग 40 वर्ष मानी जाती है, इसके बीज अरण्ड के बीज जैसे परन्तु कुछ छोटे होते हैं तथा पौधा तीसरे वर्ष में बीज उत्पादन प्रारम्भ हो जाता है। एक लीटर तेल प्राप्त करने के लिए लगभग साढ़े तीन किलो बीजों की आवश्यकता होती है।

2. रतनजोत एवं तेलीय पौधे उगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र

राजस्थान में मुख्यतः रतनजोत एवं करंज के तेल का उपयोग बायोडीजल के रूप में करने हेतु उपयुक्त पाया गया है। इन प्रजातियों के रोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्र निम्न हैं :

2.1 रतनजोत उगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र

रतनजोत मुख्यतया निम्न जिलों में उगाया जा सकता है :-

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. उदयपुर | 7. बांरा |
| 2. राजसमन्द | 8. बून्दी |
| 3. भीलवाडा | 9. झालावाड |
| 4. सिरोही | 10. बांसवाडा |
| 5. चित्तौडगढ़ | 11. डूंगरपुर |
| 6. कोटा | |

उपरोक्त जिलों में प्राकृतिक रूप से रतनजोत वनों में पाया जाता है। इसलिए इन जिलों में रतनजोत को प्रोत्साहित किया जाना उपयुक्त है।

2.2 करंज उगाने के लिए उपयुक्त क्षेत्र

करंज उगाने के लिए उपरोक्त जिलों के अतिरिक्त निम्न जिले जहां वर्षा 400 एम. एम. से अधिक है वहां करंज का रोपण किया जा सकता है।

- | | |
|-----------|-----------------|
| 1. अलवर | 5. धौलपुर |
| 2. भरतपुर | 6. करौली |
| 3. दौसा | 7. सवाई माधोपुर |
| 4. जयपुर | 8. टोंक |

करंज ऐसे क्षेत्रों में भी रोपित किया जा सकता है जहां पानी का भराव होता है।

2.3 वन भूमि जहां पर परियोजना क्रियान्वित नहीं की जा सकेगी :-

2.3.1 राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र तथा सघन वन क्षेत्र

2.3.2 ऐसी वन भूमि जिस पर विभाग द्वारा किसी परियोजना विशेष के तहत वन विकास कार्य करवाये जा रहे हों या भविष्य में करवाया जाना प्रस्तावित हो।

3. वृक्षारोपण विधि

रतनजोत के पौधे सीधे बीज बुवाई से, कटिंग लगाकर तथा नर्सरी में तैयार पौधों के रोपण से इन्टरक्रोपिंग के आधार पर किये जा सकते हैं। करंज का रोपण नर्सरी में तैयार पौधों के माध्यम से अथवा सीधे बीज बुवाई द्वारा किया जा सकता है। रतनजोत/करंज को वृक्षारोपण की बाडबन्दी पर तथा कन्दूर ट्रेंचों/विडिच पर मध्यम ढलान तक रोपण किया जा सकता है। वृक्षारोपण कार्यों में कार्य स्थल की उपयुक्तता के अनुरूप मृदा एवं जल संरक्षण कार्य सम्मिलित किये जायेंगे। रतनजोत एवं करंज का मोनो कल्चर नहीं किया जा सकेगा।

4. वन सुरक्षा समिति द्वारा वृक्षारोपण

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति सामान्यतया 50 हैक्टेयर में एक वर्ष में वृक्षारोपण करेगी लेकिन क्षेत्र की उपलब्धता होने पर अधिकतम 200 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण स्वीकृत परियोजना के अनुसार कर सकेगी।

5. वन विकास अभिकरण द्वारा वृक्षारोपण

वन विकास अभिकरण द्वारा 500 हैक्टेयर या उपलब्धतानुसार इससे अधिक क्षेत्र में स्वीकृत परियोजना के अनुसार वृक्षारोपण किया जा सकता है।

6. नीतिगत प्रावधान

वन भूमि पर तेलीय पौधों के वृक्षारोपण के संबंध में भारत सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अगर तेल देने वाले पौधे क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाली

स्थानीय वनस्पति के रूप में विद्यमान है तथा इनका रोपण क्षेत्र के समग्र वृक्षारोपण का भाग है व रतनजोत तथा करंज को मोनोकल्चर के रूप में नहीं लगाया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति भारत सरकार से लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य के साझा वन प्रबन्ध दिशा निर्देश 17.10.2000 के अन्तर्गत नागरिक समुदाय की अन्य संस्थाओं यथा स्वयं सेवी संस्थाएँ (एन.जी.ओ.) सहकारी समितियाँ, पंचायतें इत्यादि से भी वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु योगदान प्राप्त किया जाये। वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के अतिरिक्त यदि कोई स्वयं सेवी संस्था बिना किसी अधिकार/लाभ प्राप्त करने की शर्त पर वनों के संरक्षण एवं विकास में सहयोग देना चाहती हो तो इस प्रकार के सहयोग प्राप्त करने में वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

7. पात्रता

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत/निजी/संयुक्त क्षेत्र कम्पनी/सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकृत समिति अथवा राजकीय उपक्रम आदि जो राज्य के पडत एवं परिभ्राषित वन क्षेत्रों में बायोडीजल वृक्षारोपण करना चाहती हैं एवं इस हेतु आवश्यक संसाधन रखती हैं तथा वांछित निवेश करने की इच्छुक हैं।

8. कियान्वयन प्रक्रिया

बायोफ्यूल वृक्षारोपण हेतु बायोफ्यूल ऑथोरिटी नोडल एजेन्सी का कार्य करेगा तथा तकनीकी मार्गदर्शन वन विभाग द्वारा दिया जायेगा। कम्पनी/समिति/उपक्रम जो बायोडीजल वृक्षारोपण परियोजना का इच्छुक हो, द्वारा विस्तृत बायोडीजल परियोजना तैयार की जायेगी एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ परियोजना रिपोर्ट बायोफ्यूल ऑथोरिटी का प्रेषित की जायेगी।

8.1 सुसंगत अभिलेखों में निम्न दस्तावेज शामिल हैं :-

परियोजना रिपोर्ट, (क्षेत्र का विवरण एवं नक्शा, रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या एवं अन्य प्रजातियाँ जो लगाई जायेगी का विवरण, अनुमानित लागत)

8.2 परियोजना रिपोर्ट उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विकास अभिकरण/ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को प्रेषित कर दी जायेगी।

8.3 संबंधित ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर गांव की साधारण सभा में पूर्ण विचार विमर्श कर इस बाबत उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा एवं अनुमोदन की दशा में समिति के अध्यक्ष को इकरार करने हेतु अधिकृत करेगी।

8.4 इसी प्रकार वन विकास अभिकरण से संबंधित प्रस्तावों में अभिकरण की साधारण सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- 8.5 प्रार्थना पत्रों की जांच विश्लेषण आदि का कार्य विभाग द्वारा 60 दिवस की में पूर्ण करना होगा।
- 8.6 वन विकास अभिकरण/ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के नियमानुसार अनुमोदन उपरान्त निवेश कर्ता के साथ त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. (परिशिष्ट-1) का निष्पादन किया जायेगा। कम्पनियों/समितियों/राजकीय उपक्रमों को वृक्षारोपण हेतु कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विकास अभिकरण/ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को राशि उपलब्ध करानी होगी। क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार रतनजोत एवं करंज के रोपण के साथ साथ अन्य प्रजातियों के पौधों का रोपण भी करवाया जाना वांछनीय होगा। संस्थाओं द्वारा उन्हीं क्षेत्रों में बायोडीजल वृक्षारोपण किये जा सकेंगे जहां रतनजोत एवं करंज प्राकृतिक रूप से पाये जाते हैं तथा इन प्रजातियों का रोपण क्षेत्र विशेष के समग्र वृक्षारोपण परियोजना का भाग है।
- 8.6.1 जिलेवार पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि की सूचना संबंधित उप वन संरक्षक से प्राप्त की जा सकेगी।
- 8.6.2 एम.ओ.यू. 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा जो तीनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
- 8.6.3 यदि किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में एक से अधिक कम्पनियां/समितियां/राजकीय उपक्रम आदि आवेदन करती हैं तो ऐसे प्रकरणों में कम्पनियों की क्षमता एवं परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी उपयुक्तता को दृष्टिगत रखे हुए उप वन संरक्षक द्वारा निर्णित किया जावेगा।
- 8.6.4 जो कम्पनियां/समितियां/राजकीय उपक्रम अनुसंधान एवं अनुवांशिकीय सुधार पर कार्य करने की इच्छुक होगी तथा जिनके पास इस हेतु उपयुक्त संसाधन होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी।
- 8.6.5 वृक्षारोपण से प्राप्त रतनजोत के बीजों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा उससे अधिक दर पर कम्पनियों द्वारा क्रय किया जायेगा। वन सुरक्षा समिति रतनजोत/करंज के बीजों को कम्पनी को ही बेचेगी तथा अन्य लघु वन उपज का लाभ राज्यादेश 17.10.2000 (परिशिष्ट-2) के अनुसार प्राप्त कर सकेंगी।
- 8.6.6 रतनजोत आच्छादित 5000 हैक्टेयर क्षेत्र में एक ही कम्पनी ट्रांसइंस्टेरिफिकेशन प्लान्ट लगायेगी।

9. वृक्षारोपण हेतु शर्तें

कम्पनियां/समितियां/राजकीय उपक्रम को निम्न शर्तों की पालना करनी होगी :

- 9.1 पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि जिस पर वृक्षारोपण किया जा रहा है जिसका स्वामित्व (Ownership) वन विभाग के पास सदैव होगा।
- 9.2 वृक्षारोपण के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई गैर वानिकी कार्य नहीं करवाया जायेगा लेकिन जल संरक्षण के कार्य जैसे एनिकट निर्माण, नाडी निर्माण कार्य करवाया जा सकेगा।

- 9.3 वृक्षारोपण क्षेत्र में केवल बायोडीजल प्रजातियों का रोपण (मोनोकल्चर) किसी भी सूरत में नहीं किया जायेगा। बायोडीजल प्रजातियों का रोपण उक्त क्षेत्र की समग्र वृक्षारोपण परियोजना का भाग होगा।
- 9.4 बायोफ्यूल बीज के अतिरिक्त क्षेत्र से मिलने वाली अन्य वन उत्पाद पर निवेशकर्ता का कोई हक नहीं होगा।
- 9.5 पडत एवं परिभ्रांषित वन भूमि केवल वृक्षारोपण कार्य हेतु काम में ली जावेगी तथा रतनजोत या करंज का वृक्षारोपण/बीजारोपण वन विभाग द्वारा तैयार किये गये वृक्षारोपण मॉडल के अनुसार किया जावेगा।
- 9.6 रोपण हेतु धनराशि कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी तथा प्रजातियों का रोपण एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित होने के तीन वर्ष की अवधि में किया जाना आवश्यक होगा।
- 9.7 बायोडीजल वृक्षारोपण कार्य, क्षेत्र की देखभाल एवं सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी समिति की होगी।
- 9.8 वन विकास कार्य को समिति किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को सबलेट नहीं कर सकेगी।
- 9.9 किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का समाधान संबंधित वन संरक्षक द्वारा किया जावेगा।
- 9.10 संबंधित पक्ष यदि वन संरक्षक के निर्णय से सहमत नहीं हो तो मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर अपील कर सकेंगे एवं मुख्य वन संरक्षक का फैसला अन्तिम होगा।
- 9.11 बायोफ्यूल आथोरिटि द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जावेगी।
- 9.12 इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना की जायेगी।
- 9.13 समस्त विवादों का निपटारा राजस्थान राज्य के न्यायिक क्षेत्राधिकार संबंधित सक्षम न्यायालयों में ही किया जा सकेगा।

कम्पनी/सहकारी समिति/राजकीय उपक्रम/ वन विकास अभिकरण/ग्राम्य वन सुरक्षा समिति तथा वन विभाग से रतनजोत को विकसित करने हेतु किये जाने वाले करार का प्रारूप

आज दिनांक को यह करार वन क्षेत्र में रतनजोत को बढ़ावा देने वाली कम्पनी/सहकारी समिति/राजकीय उपक्रम प्रथम पक्ष तथा ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति..... द्वितीय पक्ष एवं राजस्थान राज्य के राज्यपाल की ओर से उप वन संरक्षक, तीसरे पक्ष (जिसको इस करार में बाद में वन विभाग कहा गया है) के बीच सम्पन्न हुआ। द्वितीय पक्ष, निर्वाचित अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति की ओर से (जिसको करार में बाद में समिति कहा गया है) किया गया है।

यह कि निम्नानुसार वन भूमि में ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति दिनांक से दिनांक..... तक की अवधि के लिए तैयार एवं स्वीकृत की गई बायोडीजल आधारित वृक्षारोपण योजना के अनुसार विकास तथा सुरक्षा एवं प्रबंध कार्य करेगी।

नाम जिला मण्डल रेंज..... नाका..... बीट.....
वन खण्ड व कम्पार्टमेंट क्षेत्रफल सीमांकन उत्तर
पूर्व..... दक्षिण पश्चिम.

उपरोक्त निर्दिष्ट भूमि में राज्य सरकार के आदेश अनुसार ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति दिनांक से निम्नांकित शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादन करेगी।

- यह कि संबंधित कम्पनी द्वारा रतनजोत एवं अन्य वानिकी प्रजातियां उगाने हेतु अनुमोदित मॉडल की दर से राशि अग्रिम के रूप में संबंधित उप वन संरक्षक को दी जायेगी जो संबंधित समिति को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगें।
- रोपण हेतु धनराशि कम्पनी/समिति/राजकीय उपक्रम द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी तथा प्रजातियों का रोपण एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित होने के तीन वर्ष की अवधि में किया जाना आवश्यक होगा।

- कम्पनी स्वयं अथवा वन विभाग के माध्यम से उन्नत किस्म के बीज समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- वन सुरक्षा समिति रतनजोत के बीजों को संबंधित कम्पनी को राजफैड द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा इससे अधिक दर पर उपलब्ध कराने को बाध्य होगी।
- कम्पनी को रतनजोत के अतिरिक्त अन्य कोई वन उपज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। समिति रतनजोत के अतिरिक्त अन्य वन उपज राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.10.2000 द्वारा जारी राज्यादेश के अनुसार प्राप्त कर सकेगी।
- कम्पनी राजफैड द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा उससे अधिक दर पर बीजों का क्रय करने को बाध्य होगी।
- वन सुरक्षा समिति कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बीजों से उन्नत किस्म के पौधें तैयार करेगी तथा वृक्षारोपण वन विभाग के तकनीकी मार्ग निर्देशन में सम्पादित करेगी।
- वृक्षारोपण क्रियान्वयन, देखभाल एवं सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी समिति की होगी।
- वन भूमि पर किसी भी तरह का स्वामित्व का अधिकार समिति या कम्पनी को नहीं होगा व इस भूमि का पूर्ण स्वामित्व वन विभाग का होगा।
- वन विकास कार्य को समिति किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को सबलेट नहीं कर सकेगी।
- वन क्षेत्र में रतनजोत/करंज को मोनोकल्चर के रूप में नहीं लगाया जावेगा। इन प्रजातियों का रोपण क्षेत्र विशेष के समग्र वृक्षारोपण परियोजना का भाग होगा।
- इकरारनामों की अवधि 10 वर्ष की होगी जो तीनों पक्षों की सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
- यदि किसी पक्ष द्वारा इकरारनामों की पालना नहीं की जाती है तो इकरार भंग किया जा सकेगा।
- किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का समाधान संबंधित वन संरक्षक द्वारा किया जावेगा।
- संबंधित पक्ष यदि वन संरक्षक के निर्णय से सहमत नहीं हो तो मुख्य वन संरक्षक के स्तर पर अपील कर सकेंगे एवं मुख्य वन संरक्षक का फैसला अन्तिम होगा।
- बायोफ्यूल आथोरिटी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जावेगी।
- इसके अतिरिक्त भारत सरकार, राज्य सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जावेगी।
- समस्त विवादों का निपटारा राजस्थान राज्य के न्यायिक क्षेत्राधिकार संबंधित सक्षम न्यायालयों में ही किया जा सकेगा।